

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 271]	दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 14, 2017/आषाढ़ 23, 1939	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 164
No. 271]	DELHI, FRIDAY, JULY 14, 2017/ASADHA 23, 1939	[N.C.T.D. No. 164

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

ऊर्जा विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 13 जुलाई, 2017

सं. फा. 11(99)/2005/ऊर्जा/1927.—गृह मंत्रालय के दिनांक 20 फरवरी, 2004 की अधिसूचना संख्या यू-11030/2/2003/यूटीएल के साथ पठित केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा एवं विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय) विनियम, 2010 के विनियम 32 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस संबंध में दिनांक 20 जनवरी, 2016 की पूर्ववर्ती अधिसूचना के अधिक्रमण में ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या हटाये जाने के लिये की गई बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्वारा अधिसूचित करते हैं कि उक्त विनियमों के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट सुरक्षा उपायों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिये आपूर्ति प्रारंभ होने से पूर्व या छह माह या अधिक के लिये बंद होने के पश्चात् पुनः प्रारंभ होने पर 200 केडब्ल्यू/215/केवीए से अधिक सक्षमता वाली नवीकरण योग्य ऊर्जा उत्पादन यूनिटों सहित समस्त उत्पादन यूनिटों की संस्थापनाओं का निरीक्षण 20 जनवरी, 2016 से पूर्वव्यापी प्रभाव से केवल विद्युतीय निरीक्षक द्वारा किया जायेगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
सुधीर शर्मा, उप-सचिव (ऊर्जा)

DEPARTMENT OF POWER**NOTIFICATION**

Delhi, the 13th July, 2017

No. F. 11(99)/2005/Power/1927.—In exercise of the powers conferred by regulation 32 of the Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2010 read with Government of India, Ministry of Home Affairs Notification F. No. U-11030/2/2003/UTL, dated the 20th February, 2004 and in supersession of the earlier notification dated 20th January, 2016 in this regard except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby, notifies that all installations of generating units, including units producing Renewable Energy with the capacity of above 200 KW/215 KVA only shall be inspected by Electrical Inspector, before commencement of supply or re-commencement after shut down for six months and above, for ensuring observance of safety measures specified under the said regulations, with retrospective effect from 20th January, 2016.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
SUDHIR SHARMA, Dy. Secy. (Power)

RAKESH SUKUL

Digitally signed by RAKESH
SUKUL
Date: 2017.07.18 23:00:35 +05'30'